रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 1987/फाल्गुन 19, 1908
No. 113] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 1987/PHALGUNA 19, 1908

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1987

अधिसूचना

सं. 127/87–सीमाशुल्क

का. आ. 168 :– (अ) केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड (i) और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 20 की उपधारा (2) के अनुसरण में, भारत सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 512–सीमा शुल्क [का. आ. सं. 963 (अ)] तारीख 29 दिसम्बर, 1986 में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् उक्त अधिसूचना

के नीचे की अनुसूची में क्रम सं. 14 और उससे संबंध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)
14	पौंड स्टरलिंग	4.8495

यह दर 13-3-87 से लागू होगी।

[फा.सं. 503/1/87–सी.शु.–VI]

एस. के. सिन्हा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 10th March, 1987

NOTIFICATION

NO. 127|87-CUSTOMS

S.O. 168(E).—In pusuance of Sub-section (2) of Section 20 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) and sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. 512-Cus. [S.O. 963(E)], dated 29th December, 1986 namely :—

In the Schedule below the said Notification for serial No. 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
14.	Pound Sterling	4.8495

This rate will be effective from 13-3-1987.

[F. No. 503|1|87-Cus. VI]

S. K. SINHA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987